To start the Constructions work

167 **Sh. Deepak Mangla, MLA.:** Will the Chief Minister be pleased to State:-

(a) Whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister for construction of the Palwal distributary but the said work has not been started so far; and

(b) If so, the time by which the said work is likely to be started?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

(a) Yes, Sir. This work falls under CM Announcement Code No. 25300.

(b) Palwal Distriburtary is the part of Agra Canal System which is owned and controlled by U.P. Irrigation Department. Revised capacity statement of the Channel has been sent to U.P. Irrigation Department for consent but the same is awaited. Administrative Approval will be sought from the Govt. after receipt of consent from U.P. Irrigation Department. Hence, no fixed time frame can be given.

Additional Information
unstarred Assembly Question No. 167

Palwal Disty. is the part of Agra Canal system which is owned and controlled by U.P. Irrigation Department. Palwal Disty. offtakes from Agra Canal at RD 29 Mile Right Side. The length of Palwal Disty. is 6 Mile and discharge is 51 Cusecs at head. Palwal Disty. serve area of Palwal city and villages namely Gailpur, Raipur, Karna, Naya Gaon, Agwanpur.

Hon'ble Chief Minister, Haryana has announced, Grant of Rs. 7.5 Crores for Construction of Palwal Rajwaha in centre of Palwal city and setting up of grill vide CM Announcement code no. 25300 dated 23.02.2020. Revised capacity statement of Palwal Disty. stands submitted to Executive Engineer, UAC-III Mathura, U.P. In spite of repeated requests and follow ups with U.P Irrigation Department, the pendency is at the level of U.P. Irrigation Department. Reminder letter has been sent to UP Irrigation Department vide this office letter No. 4340-41/8W dated 04.09.2020 for counter signing the revised capacity statement or to give timeline for the same. The matter has been also taken up with Deputy Commissioner, Palwal vide Executive Engineer, Palwal letter No. 4604-06/28M and No. 4607-09/28M dated 21.09.2020. After receiving of capacity statement from U.P Govt., revised L-Section will be prepared and Administrative Approval will be taken from Govt., and the work of lining of this channel will be started.

निर्माण कार्य आरम्भ करना

167 **श्री दीपक मंगला, एम.एल.ए.:** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण करने की घोषणा की गई है परन्तु उक्त कार्य को अब तक आरम्भ नहीं किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

(क) हां, श्रीमान जी। ये कार्य मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25300 के अन्तर्गत आता है

(ख) पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री आगरा नहर प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन और अधिकार क्षेत्र में आता है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री का संशोधित क्षमता विवरण उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है जोकि, अभी प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति माँगी जाएगी। इसलिए, इसमें कोई निर्धारित समय सीमा नही दी जा सकती।

अतिरिक्त सूचना
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–167

पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री आगरा नहर प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन और अधिकार क्षेत्र में आता है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री आगरा नहर की आर0डी0 29 मील दांई तरफ से निकलती है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री की लंबाई 6 मील है और हैड पर निष्कासन 51 क्सूसिक है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री पलवल शहर और गेलपुर, रायपुर, करना, नया गांव, अगवानपुर नामक गांवों में पानी पहुंचाती है।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने पलवल शहर के केन्द्र में पलवल रजवाहे के निर्माण के लिए 7.5 करोड़ रू0 के अनुदान और ग्रील लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25300 दिनांक 23.02.2020 के अन्तर्गत की। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री का संशोधित क्षमता विवरण कार्यकारी अभियंता, यूएसी–।।।, मथुरा यू. पी. को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग को बार–बार आगे की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के स्तर पर कार्यवाही लंबित है। सिंचाई विभाग यू.पी. को स्मरण पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4340–41/8W दिनांक 04.09.2020 को संशोधित क्षमता विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर या उसी के लिए टाइमलाइन देने के लिए भेजा गया है। मामले को उपायुक्त, पलवल के साथ कार्यकारी अभियंता, पलवल के पत्र क्रमांक 4604-06/28M और 4607-09/28M दिनांक 21.09.2020 के माध्यम से उठाया गया । उत्तर प्रदेश सरकार से क्षमता विवरण प्राप्त करने के बाद, संशोधित एल–सेक्शन तैयार किया जाएगा और सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, इन चैनलों के लाइनिंग का काम शुरू किया जाएगा।